

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)  
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 37/2024/ (गुण्डा एक्ट)  
जी.सी.एम.एस नं.- 2024/133.

उनवान

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन मण्डाना जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

बरकत अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.13 मण्डाना थाना मण्डाना ,जिला कोटा।



कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम


निर्णय दिनांक : 22/5/2026

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन मण्डाना जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल, बरकत अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.13 मण्डाना थाना मण्डाना ,जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध अपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	23/2024	13 आरपीजीओ	11/22-2-2023	100 रू0 जुर्माना
2.	28/2024	13 आरपीजीओ	18/29-02-2024	100 रू0 जुर्माना

अतः बरकत अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.13 मण्डाना थाना मण्डाना ,जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित हुआ। गैरसायल द्वारा उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से अभिभाषक शाहनवाज खान द्वारा वकालतनामा पेश हुआ। अभिभाषक गैरसायल अथवा गैरसालय द्वारा थानाधिकारी मण्डाना द्वारा प्रस्तुत उक्त इस्तगासे के संबध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

  
अति. जिला कलक्टर  
कोटा



पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी मण्डाना द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरुद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा में 02 के तहत दर्ज हुए हैं।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए पेशेकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओं में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार बरकत अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.13 मण्डाना थाना मण्डाना, जिला कोटा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 15 दिन के लिए थाना मण्डाना कोटा की सीमा से जिला बून्दी के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी कापरेन, जिला बून्दी को प्रस्तुत करेगा थानाधिकारी कापरेन, जिला बून्दी गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 15 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 12/06/2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना मण्डाना जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल बरकत अली पुत्र शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न.13 मण्डाना थाना मण्डाना, जिला कोटा, को दिनांक 12/06/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना मण्डाना जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, थानाधिकारी कापरेन, जिला बून्दी की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी कापरेन, जिला बून्दी उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी मण्डाना जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र मण्डाना जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 22/5/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



(बीरेन्द्र सिंह यादव)  
आतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा

